

Article 106

- salaries and allowances of members. / सदस्यों के वेतन और भत्ते। **125000/-**
- Fixed by the Parliament. / संसद द्वारा निर्धारित।



Article 107

Provisions as to introduction and passing of Bills
विधेयकों के प्रस्तुतीकरण और पारित करने से संबंधित
उपबंध

Types of Bills in Parliament / संसद में विधेयकों के प्रकार :

- ✓ Ordinary bills / साधारण विधेयक
- ✓ Citizenship amendment bill / नागरिकता संशोधन विधेयक
- ✓ Constitutional amendment bill / संविधान संशोधन विधेयक
- ✓ Financial bill / वित्तीय विधेयक

Ordinary bill: Bills which are concerned with any matter other than financial subjects are ordinary bills.

साधारण विधेयक: वे विधेयक जो वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हों, साधारण विधेयक कहलाते हैं।



Joint sitting is taken from the Australian constitution/
संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है

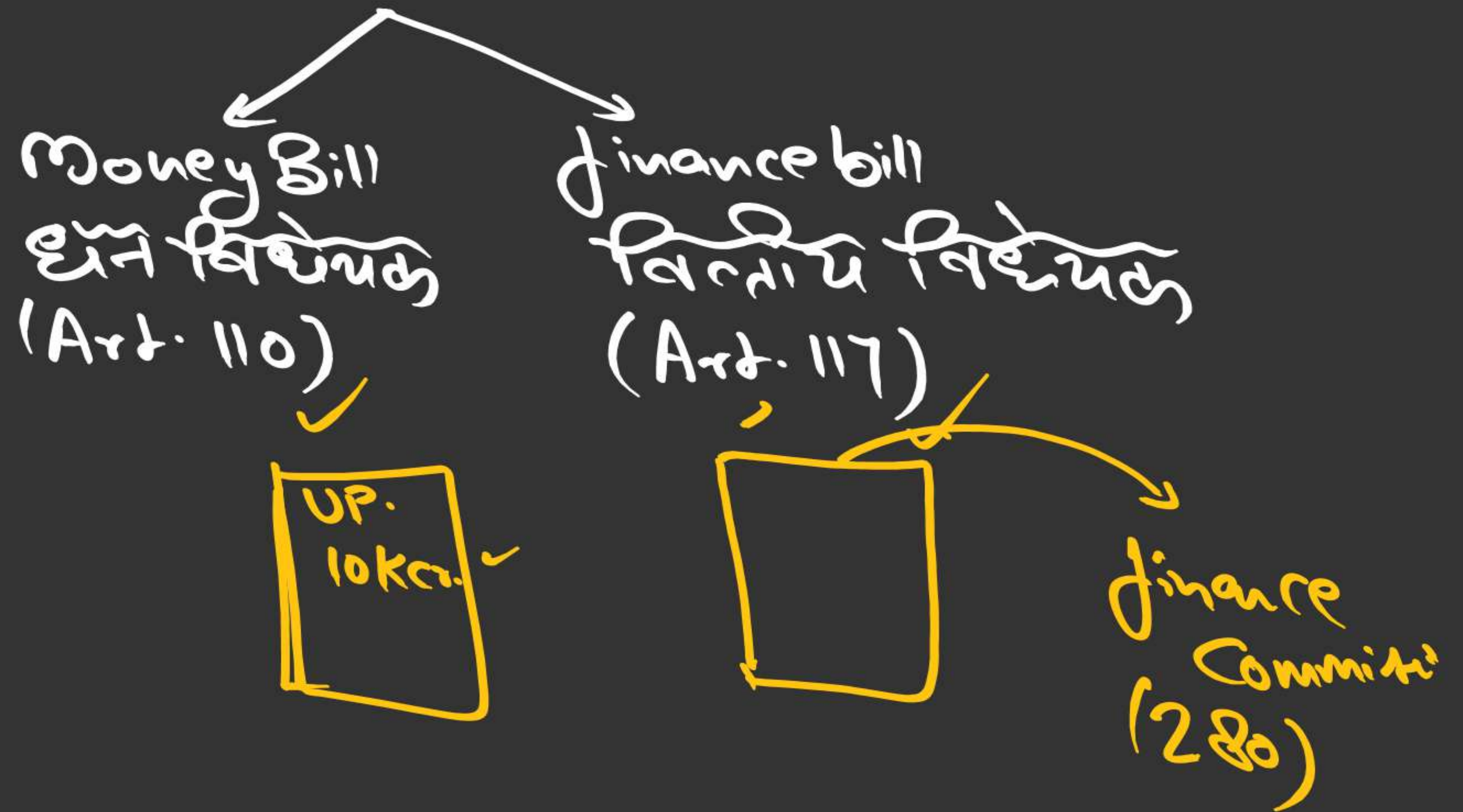


- Joint sitting of Both the Houses of Parliament. / संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
- the Constitution provided an extraordinary machinery of joint sitting to resolve a deadlock between the two Houses over the passage of a bill./ संविधान ने किसी विधेयक के पारित होने को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था प्रदान की है।
- Potential situations of deadlocks – after a bill has been passed by one House and transmitted to the other House/ गतिरोध की संभावित स्थितियाँ - एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने और दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद
- If the bill is rejected by the other House / यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है
- If the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill / यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदनों के बीच अंतिम असहमति हो जाती है
- If more than six months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other House without the bill being passed by it./ यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा प्राप्त होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विधेयक पारित नहीं हुआ है।
- Provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only. / संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है।
- Provision of joint sitting is not applicable to money bill and constitutional amendment bill./ संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है।



- The joint sitting is governed by the Rules of Procedure of Lok Sabha and not of Rajya Sabha./ संयुक्त बैठक लोकसभा के प्रक्रिया नियमों द्वारा शासित होती है, न कि राज्यसभा के।
- Speaker of Lok Sabha presides over a joint sitting of the two Houses and the Deputy Speaker, in his absence./ लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं।
- Joint Sitzings in the Indian Parliament (SINCE 1950) / भारतीय संसद में संयुक्त बैठकें (1950 से)
- 1961 – Dowry prohibition bill (Lok Sabha was disagreed with proposed amendments) / दहेज निषेध विधेयक (लोकसभा प्रस्तावित संशोधनों से असहमत थी)
- 1978 – Banking services commission reform bill (rejected by Rajya Sabha) / बैंकिंग सेवा आयोग सुधार विधेयक (राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत)
- 2002 – Prevention of terrorism bill (Rajya Sabha rejected the bill)/ आतंकवाद निवारण विधेयक (राज्यसभा ने विधेयक को अस्वीकृत कर दिया)





Article 109

()

प्रस्तुत लोकसभा में किया जाता है।

- Special procedure for Money bills/ धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया
- Money bill can be introduced in Lok Sabha only on the recommendation of the President. / धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- After a bill is passed to Rajya Sabha it can approve, suggest amendments or to take no action on the bill but it must give its assent within 14 days./ राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, वह उसे स्वीकृत कर सकती है, संशोधन सुझा सकती है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन उसे 14 दिनों के भीतर अपनी सहमति देनी होगी।
- Lok Sabha may accept or reject the bill but Rajya Sabha can only give suggestions/ लोकसभा विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है।
- If Rajya Sabha does not pass the bill within 14 days , it shall be deemed to be passed by the houses./ यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित नहीं करती है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।



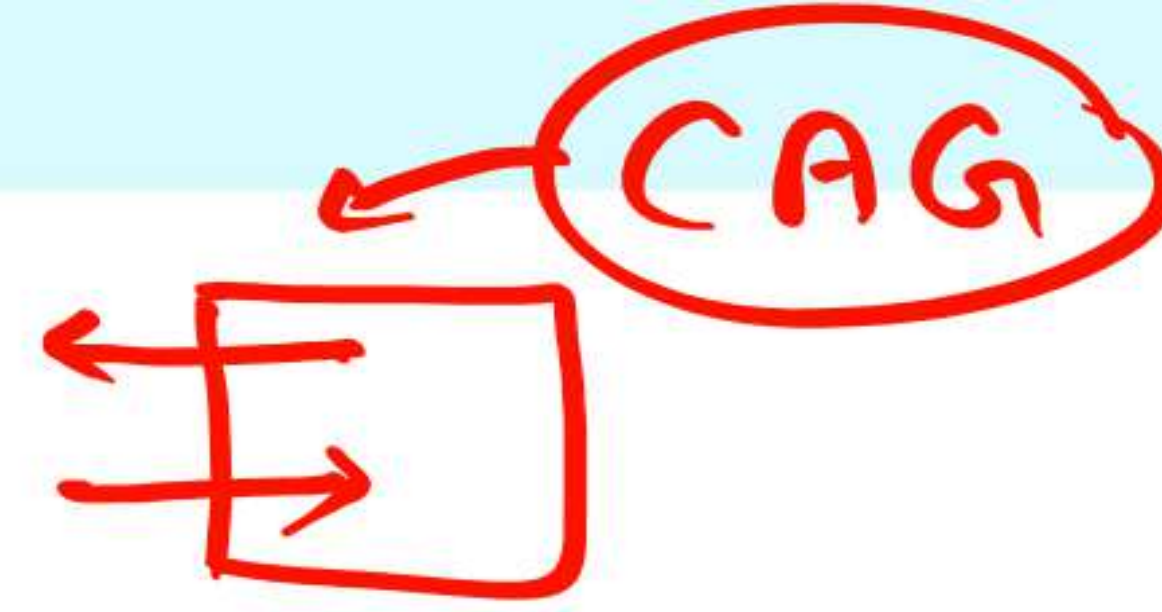
Article 110

It states that a bill is deemed to be a money bill if it contains 'only' provisions dealing with all or any of the following matters:

- The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax.
- The regulation of the borrowing of money by the Union government
- The custody of the Consolidated Fund of India or the contingency fund of India,
- The payment of moneys into or the withdrawal of money from any such fund
- The appropriation of money out of the Consolidated Fund of India
- Declaration of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India or increasing the amount of any such expenditure
- The receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money,
- or the audit of the accounts of the Union or of a state



Article 110



इसके अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी विषय से संबंधित 'केवल' प्रावधान हों:

- किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन।
- भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा।
- ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी।
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन।
- भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि।
- भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन।
- या संघ या राज्य के खातों की लेखापरीक्षा।



Types of Account

Consolidated
A/c

- * Daily Expense
- * Schemes
- * Salaries
- * Other Expenses

Contingency
A/c

(Emergency A/c)



A/c of Public

- * Post office FD
- * LIC

Article 111

- Assent to bills. / विधेयकों पर स्वीकृति।
- After a bill is passed by both the houses of parliament then it goes to the President for his assent / संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। ✓
- The President may / राष्ट्रपति
 - Give assent (bill becomes act) / स्वीकृति दे सकते हैं (विधेयक अधिनियम बन जाता है)
 - Use its veto power / अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
- Veto power of the President / राष्ट्रपति की वीटो शक्ति:
 - ✓▪ Absolute veto / पूर्ण वीटो
 - ✓▪ Suspensive veto / निलंबन वीटो
 - ✓▪ Pocket veto / पॉकेट वीटो

Discussed in the chapter of President in detail
राष्ट्रपति के अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई

Imp.

The speaker of the Lok Sabha decides whether the bill is money bill or not. / लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

France

Budget



- Annual financial statement (Budget) / वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- The term "budget" has nowhere been used in the Constitution rather refers to the budget as the "annual financial statement" under Art. 112./ संविधान में कहीं भी "बजट" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।
- Annual budgeting started in India in 1860./ भारत में वार्षिक बजट की शुरुआत 1860 में हुई थी।
- The budget is a statement of the estimated receipts and expenditure of the Gol in a financial year along with other provisions./ बजट, एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, अन्य प्रावधानों के साथ, होता है।
- Financial year of Gol – Begins on 1 April and ends on 31 March of the following year./ भारत सरकार का वित्तीय वर्ष - 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।
- Prior to 2017, the Government of India had two budgets / 2017 से पहले, भारत सरकार के दो बजट होते थे।





- **Railway Budget:** Consisted of the estimates of receipts and expenditures of only the Ministry of Railways / इसमें केवल रेल मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान शामिल होता है।
- **General Budget:** Consisted of the estimates of receipts and expenditure of all the ministries of the Government of India (except the railways)./ इसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों (रेलवे को छोड़कर) की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान शामिल होता है।
- **The Railway Budget was separated from the General Budget in 1924 on the recommendations of the Ackworth Committee Report (1921)/** एक्वर्थ समिति की रिपोर्ट (1921) की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था।
- **In 2017, the Central Government merged the railway budget into the general budget. Henceforth, there is only one budget for the GoI called the Union Budget./** 2017 में, केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। अब से, भारत सरकार का केवल एक ही बजट है जिसे केंद्रीय बजट कहा जाता है।



Article 117

- special provisions for financial bills/ वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान



Article 118

- Rules of Procedure./ प्रक्रिया नियम।
- Each house of Parliament may make rules for regulating its procedures and code of conduct./ संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रियाओं और आचार संहिता को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

Article 119

- regulation of Procedure for financial Business/ वित्तीय कार्य के लिए प्रक्रिया का विनियमन

Article 120

- Languages used in the Parliament./ संसद में प्रयुक्त भाषाएँ।

LANGUAGE IN PARLIAMENT (संसद में भाषा)

- Constitution has declared Hindi and English to be the languages for transacting business in the Parliament / संविधान ने संसद में कार्य संचालन के लिए हिंदी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है।
- Presiding officer can permit a member to address the House in his mother-tongue. / पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
- Official Languages Act 1963 allowed English to be continued along with Hindi / राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने की अनुमति दी गई है।



Article 121

- Restriction on discussion in Parliament.
- संसद में चर्चा पर प्रतिबंध।
- No discussion shall take place in the Parliament with respect to the conduct of any judge of the supreme court or high court.
- सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी।

Article 122

- Court not to inquire in the proceedings of the Parliament.
- न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेगा।



Article 123

- Power of president to promulgate ordinances (discussed in the chapter of President)
- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (जिसकी चर्चा राष्ट्रपति के अध्याय में की गई है)



Parliamentary Committee

